

अनुदान संख्या 45 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
GRANT No. 45-MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	80,84,00		
पूरक	Supplementary	2,00		
		80,86,00	68,65,72	-12,20,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			10,27,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में, बचते/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services			
मू.	O.	930.00		
पु.	R.	-118.00		
			812.00	740.87
				-71.13
मुख्य शीर्ष "2405"	Major Head "2405"			
मछली पालन	Fisheries			
मू.	O.	2900.00		
पु.	R.	-1530.00		
			1370.00	1369.92
				-0.08
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"			
खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	Food, Storage and Warehousing			
मू.	O.	3504.00		
पू.	S.	2.00		
पु.	R.	1371.00		
			4877.00	4754.93
				-122.07

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत-
Saving-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas
मू.	O. 750.00
पु.	R. -750.00

(I) 750.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552"- "अन्य व्यय - सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान" के अंतर्गत सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित कार्यात्मक शीर्षों को निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा उपयोग किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय" के अंतर्गत 113.00 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने और साथ ही खरीद प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2405" - "समुद्री मछली पालन - गहरे समुद्र में मछली पकड़ना" के अंतर्गत 1530.08 लाख रु. की बचत (2900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियां जारी करने के लिए प्रत्याशा से कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण - दुग्ध आधारित उद्योग" के अंतर्गत 350.01 लाख रु. की बचत (750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा बजट पर चर्चा के दौरान लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप कम निधियां जारी किए जाने के कारण हुई।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 76.13 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत थी।

(I) Provision of Rs.750.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2552" - "Other Expenditure - Provision for Projects/Schemes for North Eastern States including Sikkim" - due to utilisation by re-appropriation of funds to functional heads for the benefit of North Eastern Region including Sikkim.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Food Processing Industries" - saving of Rs.113.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-utilisation of funds by the Ministry of Urban Development and also non-finalisation of purchase proposals.

(III) Under Major Head "2405" - "Marine Fisheries - Deep Sea Fishing Operations" - saving of Rs.1530.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2900.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals for the release of funds than anticipated.

(IV) Under Major Head "2408" - "Food - Food Processing - Milk Based Industries" - saving of Rs.350.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.750.00 lakhs) was due to release of less funds as a result of decision taken during discussion on budget in Ministry of Finance.

(V) Under one head saving of Rs.76.13 lakhs occurred constituting 23 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें, पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1728.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण - बागवानी आधारित उद्योग" के अंतर्गत, दिसम्बर, 2003 और फरवरी, 2004 प्रत्येक में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद हो पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1608.87 लाख रु. था।

2. The above savings were partly utilised (Rs.1728.00 lakhs) for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh each in December, 2003 and February, 2004 under Major Head "2408" - "Food - Food Processing - Horticulture Based Industries". Actual excess, however, was Rs.1608.87 lakhs.